बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

आवश्यक सूचना

68वीं संयुक्त (प्रारंभिक/मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा

68वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन के

1. कंडिका 8 (I)(ii) में अंकित है कि "प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन **(Negative Marking)** लागू किया जायेगा"। तदनुसार आयोग द्वारा सर्वाधिक अभ्यर्थियों से प्राप्त मंतव्य **"Negative marking should be uniformly on all the 150 questions. In this case, there will be 1 mark for correct answer and -1/4 for wrong answer."** के आलोक में उक्त प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया है। जिसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी:–

(i) प्रत्येक प्रश्न, जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किया गया है, एक चौथाई (¼ or 0.25) अंक दंड स्वरूप घटाया जायेगा।

(ii) यदि अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर दिये जाते हैं तो उसे भी गलत उत्तर मानते हुए एक चौथाई (¼ or 0.25) अंक दंड स्वरूप घटाया जायेगा।

(iii) अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर अंकित नहीं करते हुए खाली छोड़ने की स्थिति में अंक घटाने का दण्ड देय नहीं होगा।

2. कंडिका 8 (II) मुख्य (लिखित) परीक्षा में वैकल्पिक विषय के Scaling/Normalisation की समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये मंतव्य के आलोक में आयोग द्वारा संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा की संरचना में संशोधन किया गया है।

संशोधित परीक्षा की संरचना निम्न प्रकार है:–

विषय कोड	विषय	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि
01	सामान्य हिन्दी	100 अंक	03 घंटे
02	सामान्य अध्ययन, पत्र– I	300 अंक	03 घंटे
03	सामान्य अध्ययन, पत्र – II	300 अंक	03 घंटे
38	निबन्ध	300 अंक	03 घंटे
04 से 37 तक	वैकल्पिक विषय (MCQ आधारित)	100 अंक	03 घंटे

सामान्य हिन्दी में 30 प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी। इसी प्रकार वैकल्पिक विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा परन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी।

ध्यातव्य रहे कि प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों की सूची में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। सम्प्रति उक्त वैकल्पिक विषय में कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक – 962, दिनांक–22.01.2021 के द्वारा सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी।

इस प्रकार सामान्य अध्ययन – I, सामान्य अध्ययन – II तथा निबन्ध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की मेधा सूची तैयार की जायेगी।

3. **68वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन भरने की पूर्व निर्धारित तिथि को निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है:–**

ऑनलाईन आवेदन संबंधी प्रक्रिया	पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि	विस्तारित तिथि
ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	दिनांक 20.12.2022	दिनांक 30.12.2022 तक

नोट 1:–**Payment करने एवं Application Submission किये जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गयी प्रविष्टि को पुनः Edit कर सकते हैं, जिसके लिए आवेदन भरने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद दस दिन (दिनांक– 10.01.2023 तक) का समय दिया जायेगा।**

2. उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना/विवरणी/जानकारी एवं ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है।
3. दिनांक 18.11.2022 को **68वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा** के प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा तथा विज्ञापन की अन्य सभी निर्देश एवं शर्त पूर्ववत् रहेगी।

20.12.22

परीक्षा नियंत्रक,

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना